आओ, जाने, सीखें और करें
"कानूनी हस्तक्षेप"

जतन
(झारखण्ड एंटी-ट्रैफिकिंग नेटवर्क)

संयोजक कार्यालयः
सृजन फाउण्डेशन
202, पृथ्वी होम्स, दीपाटोली,
राँची-834009 (झारखण्ड)
Mob: 094311 41046
Email : jrcjatn@gmail.com

प्रस्तावना

झारखंड से प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में महिलाओं एवं किशोरियों का पलायन देश के महानगरों में होता रहता है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकाँश महिलायें घरेलू काम या अन्य काम के लिए पलायन करती है। अधिकतर स्थिति में यह पलायन असुरक्षित तरीके से होता है जहाँ आगे चल कर महिलाओं एवं किशोरियों का आर्थिक, शारीरिक, यौन शोषण एवं ट्रैफिकिंग का शिकार होती है। इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं के अधिकारों का घोर हनन होता है।

झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क (जतन) ग्रासरूट स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं का समूह है जो पिछले ग्यारह वर्षों से "सुरक्षित पलायन" की रणनीति के साथ झारखंड में महिला तस्करी की रोकथाम हेतु प्रयासरत है।

केस वर्कर्स साथियों के सीधे रूप से क्षेत्र में कार्य करने के फलस्वरूप समुदाय में अधिकारों, हिंसा, भेदभावों को ले कर लोग जागरूक हो रहे हैं। वे अपने साथ हुए अधिकारों के हनन के खिलाफ न्याय की मांग करना शुरू किये है। इस स्थिति में हमारी जिम्मेवारी ये बनती है कि हम समुदाय का न्याय तक पहुँच बनाने में मार्गदर्शन और साथ दें।

इस पुस्तिका आओ जाने, सीखें और करें- कानूनी हस्तक्षेप के निर्माण में हमने अपने पूर्व के अनुभव को ध्यान में रखा है। उम्मीद करती हूँ इस पुस्तिका से आप साथियों को केस वर्क करने में मदद मिलेगी।

धन्यवाद!

पूजा
समन्वयक, **JATN** (झारखण्ड एंटी-ट्रैफिकिंग नेटवर्क)

तालिका

क्रम सं.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1.	**थाना के प्रकार**	**2-3**
	क) थाना (प्रखंड/जिला स्तरीय)	
	ख) महिला थाना (जिला स्तरीय)	
	ग) AHTU थाना (जिला स्तरीय)	
	घ) बाल मित्र थाना (प्रखंड/जिला स्तरीय)	
2.	**पीड़ित एवं उनके परिवार के द्वारा FIR दर्ज करने एवं उसके बाद की प्रक्रिया**	**4-7**
	सन्हा/जेनरल डायरी (GD) क्या है?	
	FIR (फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट) क्या है?	
	एफ.आई.आर लिखने में शामिल बिंदु	
	NGO के सहयोग से FIR दर्ज करने की प्रक्रिया	
	आवेदन पत्र में शामिल मुख्य बिंदु	
	धमकी मिलना	
	पंचनामा	
	164 का बयान	
	चार्जशीट	
	पुलिस की जिम्मेवारी	
	यदि पीड़िता नाबालिग है	
3.	**चिकित्सीय जाँच**	**7**
4.	**पुनर्वास**	**7**
5.	**CWC (बाल कल्याण समिति)**	**8**
	CWC के अधिकार	
	जाँच प्रक्रिया	
6.	**DLSA के माध्यम से पीड़िता को सहायता**	**9**
	DLSA (District Level Service Authority) क्या है?	
	DLSA के कार्य	
	DLSA द्वारा आवेदक /पीड़ित को दिए जाने वाली सेवाएँ	
	निःशुल्क सेवा प्राप्त करने के हक़दार व्यक्ति	

1. थाना के प्रकार

क) थाना (प्रखंड / जिला स्तरीय)
ख) महिला थाना (जिला स्तरीय)
ग) AHTU थाना (जिला स्तरीय)
घ) बाल मित्र थाना (प्रखंड / जिला स्तरीय)

क) थाना (प्रखंड / जिला स्तरीय थाना)

- इसमें आप किसी भी प्रकार का केस (जमानतीय और गैर जमानतीय) दर्ज करा सकते है। जैसे – महिला एवं बच्चों से संबंधित, ट्रैफिकिंग से संबंधित, हत्या आदि मुद्दे पर आधरित हो।
- थाना का कार्य है केस दर्ज करना। तत्पश्चात स्वयं केस पर कार्यवाई करना या मुद्दे के आधार पर संबंधित विभाग में केस रेफेर करना है।

जमानतीय (असंज्ञेय) अपराध

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में जमानती अपराध वर्णित किया गया है।

- सामान्य कोटि।
- इसके अपराध असंज्ञेय (ऐसे अपराध जो प्रकृति में ज्यादा गंभीर न हो) होते है।
- पुलिस जमानत दे सकती है।
- न्यायालय निश्चित जमानत दे सकता है।

उदाहरण के लिए धोखाधड़ी, ठगी, जालसाजी, घरेलु हिंसा, मानव तस्करी, गुमशुदा व्यक्ति का केस, चोरी, दो विवाह का मामला, सामान कम तोलना या मिलावटी सामान बेचना, जन अशांति पैदा करना, मानहानि करना आदि जमानती अपराध है।

अजमानती (संज्ञेय) अपराध

भारतीय दंड प्रकिया संहिता में अजमानती अपराध की परिभाषा नहीं दी गई है। अतः हम यह कह सकते है कि ऐसा अपराध जिसमे :–

- इसके अपराध संज्ञय (ऐसे अपराध जो प्रकृति में गंभीर हो) होते है।
- इस अपराध में जमानत जल्दी नहीं मिलता है।
- इसमे पुलिस जमानत नहीं दे सकती है।
- इसमें जमानत देना न्यायलय की इच्छा पर निर्भर है।

कानून में गंभीर प्रवृति के अपराधों को अजमानती / संज्ञेय कहा गया है। ऐसे अपराध में जमानत स्वीकार करना या न करना न्यायाधीस के विवेक पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, लूट, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि अजमानती अपराध है।

ख) महिला थाना

महिला थाना विशेष रूप से महिला एवं बच्चों के सहजता के लिए जिला स्तर पर स्थापित किया गया है। इस थाना में केवल महिला पुलिस कर्मी होती है।

ग) AHTU (एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट)

AHTU, जिला थाना के अंदर एक यूनिट है जो केवल मानव तस्करी से संबंधित केस को दर्ज एवं हस्तक्षेप करने के लिए जिम्मेवार है। AHTU के लिय अलग से प्रभारी होते हैं, संबंधित केस के लिए अलग से डायरी एवं दस्तावेज का संचालन किया जाता है।

- जिस AHTU में अलग से AHTU प्रभारी नहीं होते वहां पर थाना प्रभारी को प्रभार दिया जाता है।
- एक जिला में एक AHTU होता है।
- झारखण्ड में अभी केवल 8 जिला में AHTU बना है (राँची, खूँटी, दुमका, पलामू, चाईबासा, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा)।

घ) बाल मित्र थाना

बाल मित्र थाना जिला और प्रखण्ड स्तर पर होता है। बाल मित्र थाना जिला और प्रखण्ड थाना के अंदर एक यूनिट है, जो बच्चों से संबंधित मामलों एवं समस्याओं का निवारण करता है।

- बाल मित्र थाना में पुलिस अधिकारी प्रभार में होते हैं।
- SJPU (Special Juvenille Police Unit / विशेष किशोर पुलिस इकाई) यूनिट में महिला और पुरुष पुलिस कर्मी होते हैं।
- सभी थाने में SJPU (विशेष किशोर पुलिस इकाई) का गठन किया जाना है।
- सभी थाने को बाल मित्र थाना घोषित किया जाना है परन्तु अभी तक हर जिले में कुछ ही थाने को बाल मित्र थाना घोषित किया गया है।
- संबंधित थाना प्रभारी एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों से संबंधित रिकॉर्ड, सूचनाएं, फाइल्स व आकड़ो को व्यवस्थित एवं गोपनीय रूप से रखा जाए।
- बच्चों के केस में हस्तक्षेप करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं हों यह अनिवार्य है।
- बच्चों के साथ सरल एवं सभ्य व्यवहार करना अनिवार्य है।

2. पीड़ित एवं उनके परिवार के द्वारा FIR दर्ज करने एवं उसके बाद की प्रक्रिया

"Zero FIR" भारत में किसी भी पुलिस स्टेशन पर "Zero FIR" दर्ज की जा सकती है भले ही संज्ञेय अपराध कहीं से भी किया गया हो।

सन्हा/जेनरल डायरी (GD) क्या है ?

- यह FIR करने से पहले की प्रक्रिया है।
- सन्हा दर्ज उस अवस्था में की जाती है जब सूचनाकर्त्ता को किसी घटना या होने वाली घटना का केवल शंका होता है उसका कोई ठोस सबूत नहीं होता है।
- नागरिक होने के नाते सन्हा कोई भी व्यक्ति दर्ज करवा सकता है।
- सन्हा किसी भी केस में दर्ज हो सकता है।
- सन्हा दर्ज करवाने वाले व्यक्ति को कोर्ट या किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट)

FIR (फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट) क्या है ?

- कोई भी पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य एफ.आई.आर दर्ज करा सकता है।
- एफ.आई.आर में घटना के बारे में पीड़ित या परिवार के द्वारा जो बतलाया जाता है पुलिस उस आधार पर जांच शुरू करती है और तथ्य इक्कठा करती है, ताकि तथ्य के आधार पर कारवाई की जा सके।
- शिकायत लिख सकते हैं तो स्वयं लिखें या नहीं लिख सकते हैं तो संबंधित अधिकारी से लिखवायें।
- शिकायत को पढ़कर समझकर हस्ताक्षर या अंगूठा लगायें।
- FIR की एक प्रतिलिपि (फोटो कॉपी) अवश्य प्राप्त करें।

यदि थाना अधिकारी केस दर्ज करने से इंकार करता है तो आप क्या कर सकते है ?

- आप वरिष्ठ अधिकारी (SP) या नजदीकी न्यायिक मैजिस्ट्रेट के पास आप शिकायत कर सकते हैं और वे केस दर्ज करने का आदेश संबंधित थाने को दे सकते हैं।

एफ.आई.आर लिखने में शामिल बिंदु :

- पीड़ित व्यक्ति का नाम, घटना का स्थान, तारीख और समय बताएं।
- आरोपी का नाम, पता एवं आरोपी से रिश्ता (यदि हो तो) और घटना का प्रकार विस्तृत रूप से बताएं।

- इसमें शामिल हर व्यक्ति का नाम और भूमिका के बारे में बताएँ।
- किसी प्रकार का हथियार इस्तेमाल किया गया है तो अवश्य बताएं।
- घटना के विरुद्ध जितना जल्दी हो सके केस दर्ज करवाना चाहिए।
- यदि केस को दर्ज करने में देरी होती है तो देरी का कारण भी लिखा जाना चाहिए।

NGO के सहयोग से FIR दर्ज करने की प्रक्रिया

यदि पीड़िता बालिग है तो :

1) तथ्यशोधन व् केस स्टडी तैयार करना।
2) पीड़िता के द्वारा एक आवेदन पत्र (जिसमें संस्था से केस में मदद का जिक्र हो) लेना अनिवार्य है।
3) पीड़िता की पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र जमा लेना।
4) पीडिता या उनके परिवार के द्वारा FIR दर्ज करना।

आवेदन पत्र में शामिल मुख्य बिंदु :

- नाम /पता /उम्र /माता–पिता का नाम
- आरोपी का नाम /पता / उम्र / माता–पिता का नाम
- घटना की तिथि / प्रक्रिया
- घर से घटनास्थल तक की संपूर्ण जानकारी जिसमें
  - प्लेसमेंट एजेंसी का नाम /पता
  - घटनास्थल का पता एवं मालिक का नाम (जिसके यहाँ पे काम रखा गया था)
  - कितने दिनों के लिए काम पर रखा गया था।
  - कार्य परिवर्तन एवं कार्यस्थल में परिवर्तन किया गया हो तो उसकी संपूर्ण जानकारी।
  - कितने मानदेय पर कार्य तय किया गया था।
  - क्या पूरा वेतन दिया गया अगर नहीं तो कितना दिया गया।
  - क्या आपके साथ शारीरिक/मानसिक/आर्थिक एवं यौनिक शोषण किया गया है।
- आवेदनकर्ता के द्वारा संपूर्ण आवेदन पत्र को पढ़ कर/सुन कर/समझ कर आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
- FIR करने के दौरान यह जरुर देखे कि पुलिस के द्वारा घटना से संबंधित सभी धारा लगाया गया है या नहीं।

धमकी मिलना

- धमकी मिलने पर पीडिता या उसके परिवार के द्वारा असंज्ञेय शिकायत दर्ज किया जाता है और जब चार्जशीट बनता है तब इसे जोड़ा जाता है। इसपर पुलिस को कार्यवाही करनी होता है।

- धमकी मिलने पर पीडिता या उसके परिवार के द्वारा लिखित आवेदन देकर अपनी सुरक्षा की मांग की जा सकती है।

पंचनामा

- जब आरोपी को गिरफ्तार, जाँच एवं जब्त किया जाता है तो उस समय मौजूदा व्यक्ति के बयान को पंचनामा कहते हैं।
- सेक्शन 100 के अनुसार पंचनामा करते समय किन्ही दो गवाह का होना अनिवार्य है।
- उपरोक्त कार्य घटनास्थल पर किया जाता है तो उसे "स्पोट पंचनामा" कहा जाता है।
- घटना स्थल या पीडिता के पास से मिले सामान को सबूत के तौर पर जब्त कर शील करने को "सीजर पंचनामा" कहते हैं।

164 का बयान

- यह चार्जशीट फाइल होने के पहले 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सम्मुख पीडिता के द्वारा दिलवाया जाता है।
- यह बयान कोर्ट में ही खुलता है और यह बयान बहुत महत्वपूर्ण होता है।
- यह बयान रेकोडेट या कैमरा ट्रायल के द्वारा किया जाता है। इस तरह का बयान इसलिए जरुरी है क्योकि केस कोर्ट में जाते जाते काफी समय लगता है और पीडिता बयान को भूल ना जाये।

चार्जशीट

- चार्जशीट पुलिस के द्वारा कोर्ट में भेजे जाने वाला अंतिम रिपोर्ट है जिसे पुलिस के द्वारा किये गए घटना का अनुसंधान के उपरांत बनाया जाता है।
- इस रिपोर्ट में अनुसंधान की प्रक्रिया और सबूत तथा आवश्यक सुचना और FIR के समय जो धारा छुट जाता है उसे लगाकर रिपोर्ट को पेस किया जाता है।
- चार्जशीट अभी भी आरोप को साबित नहीं करता है।
- चार्जशीट FIR दर्ज करने के 90 से 120 दिनों के अन्दर पेश करना आवश्यक है, परन्तु किसी कारणवश इसमें ज्यादा समय लग सकता है जैसे आरोपी का ना मिलना या फरार होना।

पुलिस की जिम्मेवारी

- पीडिता के द्वारा बताये गए घटना के अनुसार FIR का विवरण लिखें और केस दर्ज करें।
- यदि पीडिता पढ़ी लिखी नहीं हो तो FIR को पढ़कर सुनाने के पश्चात पीडिता से हस्ताक्षर लेना चाहिए।

- पीड़िता के साथ हुई सभी शोषण की धाराएं पुलिस द्वारा लगाई जानी चाहिए।
- यदि आवेदन पीड़िता के द्वारा दिया गया हो तो पुलिस द्वारा 161 का बयान दर्ज करना अनिवार्य है।
- पीड़िता का चिकित्सीय जाँच करवाना।
- मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का 164 का बयान करवाना।
- पीड़िता यदि बालिग़ है तो उसे उसके मर्जी के अनुसार छोड़ देना या उसके मर्जी के अनुसार पीड़िता को संरक्षण देना।
- पुलिस अनुसंधान रिपोर्ट एवं चार्जशीट तैयार करना।
- इसके बाद कोर्ट प्रक्रिया शुरू होती है।
- पीड़िता को गवाही के लिए कोर्ट में पेश किया जायेगा। केस वर्कर का कार्य होगा पीड़िता की ओर से शामिल गवाह को तैयार करना या कोर्ट के प्रक्रिया को रोल प्ले एवं बातचीत करने के द्वारा समझाना।

नोट : यदि पीड़िता का पता नहीं है और आवेदन पीड़िता के परिवार के द्वारा किया गया है तो उपरोक्त प्रक्रिया पीड़िता के आने के बाद शुरु होगा।

यदि पीड़िता नाबालिग है :

- संस्था द्वारा पीड़िता के परिवार से आवेदन (जिसमें संस्था से केस में मदद का जिक्र हो) लेना।
- यदि आप के क्षेत्र में चाइल्डलाइन है तो 1098 में केस दर्ज कर सकते है।
- थाना/ बाल मित्र थाना है तो उसमे आवेदन दे सकते है।
- CWC/ VLCPC के माध्यम से केस दर्ज कर सकते है।
- थाना /बाल मित्र थाना /चाइल्डलाइन का जिम्मेवारी होगा CWC के समक्ष प्रस्तुत करना।

3. चिकित्सीय जाँच

- पीड़िता की चिकित्सीय जाँच महिला डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा।
- पीड़िता यदि नाबालिग है तो चिकित्सीय जाँच पीड़िता के माता–पिता या पीड़िता का जिस पर विश्वास है उसके समक्ष किया जायेगा।

4. पुनर्वास

- पुनर्वास के लिए सरकारी योजनाओं से जुड़ाव।
- शिक्षा से जुड़ाव करना।
- पीड़िता के रहने के लिए व्यवस्था करना जैसे बालगृह, संरक्षण गृह, शोर्ट स्टे होम।
- यदि पीड़िता का पहचान पत्र, बैंक खाता नहीं है तो उसे बनवाने में सहयोग करना।

- DLSA व श्रम विभाग के माध्यम से पीड़िता को मुआवजा दिलवाना।
- पीड़िता के अनुकूल व् सहज वातावरण निर्माण के लिए परिवार / समुदाय / विद्यालय के साथ में परामर्श करना।
- पीड़िता यदि अपनी शिक्षा को आगे जारी रखना चाहती है तो कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में CWC के सहयोग से नामांकन करवाना।

5. CWC (बाल कल्याण समिति)

CWC क्या है ?

यह चाइल्ड वेलफेयर कमीटी (बाल कल्याण समिति) का संक्षिप्त नाम है। बाल कल्याण समिति (CWC) – राज्य सरकार द्वारा JJ ACT (Juviniel Justice ACT) के तहत गठित की गई समिति है जो ऐसे बच्चों के संबंध में सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते है जिनको देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है।

CWC में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं, सभी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। CWC के लिए नियुक्त किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए JJ Act द्वारा निश्चित न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। इस समिति में कम से कम एक सदस्य महिला होनी, और बच्चों से संबंधित एक विशेषज्ञ होना चाहिए।

CWC के अधिकार

CWC एक बोर्ड है जो अदालत की तरह कार्य करता है और यह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के समान अधिकार रखता है। जरूरत एवं देखभाल वाले बच्चों को सहायता पहुँचाने के लिए CWC को विस्तृत कार्य और जिम्मेदारियां प्रदान की गई हैं।

जाँच प्रक्रिया

- जब CWC को कोई जरूरतमंद बच्चा दिखता है या समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो यह उनका कर्तव्य है कि केस पर करवाई करें।
- CWC सामाजिक जांच का निर्देश भी दे सकता है।
- 4 महीने के भीतर जांच प्रक्रिया समाप्त करना है। इस निमित संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर सामाजिक जाँच प्रक्रिया समाप्त करना होता है।
- अनाथ एवं छोड़ दिये गए बच्चों के लिए विशेष जांच प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। CWC का यह कर्तव्य है कि वह संबंधित बच्चे के माता–पिता या अभिभावक का पता लगाने का प्रयास करें।
- 2 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए दो महीने के भीतर जाँच प्रक्रिया

पूरा करना चाहिए, और 2 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए 4 महीनों के भीतर जाँच प्रक्रिया को पुरी करना अनिवार्य है।

- जांच पूरी होने के बाद CWC बच्चे के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चे के संरक्षण का निर्णय लेता है।

6. DLSA के माध्यम से पीड़िता को सहायता

DLSA (District Level Service Authority) क्या है?

कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य के साथ, कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर जिला विधिक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है गरीब और जरूरतमंदों को "न्याय दिलाना" एवं "कानून के प्रति जागरूक" करना।

DLSA के कार्य :

1. जिला स्तर में लोक अदालत का संचालन करना।
2. क़ानूनी साक्षरता कार्यशाला आयोजित करना।
3. सेमिनार व् मीटिंग आयोजित करना।
4. क़ानूनी सहायता प्रदान करना।
5. परामर्श केंद्र में लोगों को मुफ्त में परामर्श देना।

DLSA द्वारा आवेदक /पीड़ित को दिए जाने वाली सेवाएँ :

1. सरकार द्वारा वकील उपलब्ध करना।
2. न्यायालय शुल्क का खर्च उपलब्ध करना।
3. दस्तावेजीकरण के लिए खर्च उपलब्ध करना।
4. साक्षियों के बदलाव के लिए खर्च उपलब्ध करना।
5. केस पर किये गए अन्य खर्च के लिए राशि उपलब्ध करना।

निःशुल्क सेवा प्राप्त करने के हक़दार व्यक्ति :

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
2. महिला व् बच्चे
3. श्रमिक
4. प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति
5. जेल में बंद कैदी
6. मानसिक रोगी या विशेष देखभाल वाले व्यक्ति
7. जिनकी सालाना आय 1,00,000 रुपये (एक लाख) से कम हो
8. मानव व्यापार से प्रभावित पीड़ित

DLSA में लिखित आवेदन देकर आप पीड़िता को मुआवजा दिलवा सकते है।

झारखण्ड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क (जतन) के साथी संस्थाओं की सूचीः

Sl.No	Organization	NGO Head	Contact No
1	**Jago Foundation, Giridih** **jagofoundation97@gmail.com**	Baidnath Kumar	9430315117
2	**Srijan Mahila Vikash Manch, West Singhbhum** **secretary_smvm@yahoo.co.in**	Nargis Khatoon	7250808015
3	**Lahanti, Dumka** **lahanti@rediffmail.com**	Betiya Murmu	9973150445
4	**Srijan Foundation, Gumla** **srijanfoundationjkd@gmail.com**	Pushpa Sharma	9631664923
5	**RASTA, Godda** **rastatheway@rediffmail.com**	Ajay Kumar	9955480860
6	**Sinduar Tola Gramoday Vikash Vidhyalaya, Khunti** **sgvvranchi@gmail.com**	Rajen Kumar	9431772931
7	**Chota Nagpur Sangskritik Sangh, Ranchi** **Css_sachi@yahoo.co.in**	Sachi Kumari	9504900583
8	**AALI, Ranchi** **reshu.gfatm@gmail.com**	Reshma Singh	9693853019
9	**Lok Prerna Kendra, Chatra** **lpkngo2@gmail.com**	Mousami Baxla	8292960482
10	**Mahila Mukti Sanstha, Hazaribagh** **mmsdeoyani@gmail.com**	Deoyani Barma	9931117872
11	**Sahbhaghi Vikash, Simdega** **sahbhaghi_sim@rediffmail.com**	Awdesh Kumar	9431327587
12	**SPARK, Lohardagga** **spark.5651@yahoo.co.in**	M.Fatmi	9334256513
13	**Prerana Bharati, Deoghar** **preranabharati10@gmail.com**	Shahnaj	7970776588
14	**Rashtriya Jharkhand Seva Sansthan, Koderma** **rjss@rediffmail.com**	Manoj Dangi	9939298583

SUMANGALAM # 7739393153